उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

// दिशा निर्देश //

क्रमांक A/90 .... जबलपुर, दिनांकः 6 / 01 / 2022

समुदाय में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में हाल ही में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय, मुख्यपीठ जबलपुर और इंदौर और ग्वालियर की न्यायपीठों के अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं: –

1. अधिकारी/कर्मचारी दूर–दराज से अपने बच्चों/परिवार के सदस्यों के आने और स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा होम क्वारंटाइन किए जाने की सूचना कार्यालय को देंगे। इसके अलावा, संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को भी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार उसके परिवार के सदस्य की अवधि के लिए होम क्वारंटाइन किया जाना चाहिए। उपरोक्त अवधि के पूरा होने एवं कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पहले वह सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा जारी अपनी फिटनेस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

2. यदि स्थानीय प्रशासन द्वारा जिस क्षेत्र में रहने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को संक्रमित क्षेत्र घोषित किया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति को अधिकारियों द्वारा घोषणा का आदेश प्रस्तुत करना होगा। यदि संबंधित व्यक्ति संक्रमित क्षेत्र की घोषणा से संबंधित आदेश प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त अवधि के लिए छुट्टी का आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

3. यदि उच्च न्यायालय का कोई अधिकारी/कर्मचारी किसी सार्वजनिक स्थान या भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाता है तो वह तुरंत नियंत्रण अधिकारी को सूचित करेगा। नियंत्रण अधिकारी मामले की जांच करेंगे एवं आवश्यकता होने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को एक विशिष्ट अवधि के लिए घर पर रहने का सुझाव देंगे।

4. यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी अथवा उनके साथ रहने वाले परिवार का कोई सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसे तुरंत इसकी सूचना कार्यालय को देगा तथा जब तक वह या परिवार के सदस्य संक्रमण से मुक्त नहीं हो पाते तब तक वह अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होगा। उक्त अवधि के पूर्ण होने पर वह सक्षम स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

5. कार्यालय में उपस्थित होने वाले अधिकारी/कर्मचारी आवश्यक रूप से फेस मास्क पहनेंगे एवं कार्यालय में कार्य करते समय सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे और उन्हें केंद्र/राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में पहले जारी कार्यालय में स्वच्छता के अन्य मानदंडों का भी पालन करना होगा जैसे साबुन/सैनिटाइजर से हाथ धोना इत्यादि।

6. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना कानूनी नियमों या विनियमों के अनुसार दंडनीय होगा।

7. कोई भी अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय छोड़ने/नगर पालिका निगम की स्थानीय सीमा से बाहर यात्रा करने से पहले, कारण सहित, कार्यालय को इसकी सूचना देगा और इसके लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा।

8. कार्यालय में उपस्थित होने वाले अधिकारी/कर्मचारी समय पर ड्यूटी पर उपस्थित होंगे और कार्यालयीन समय के दौरान कार्यालय नही छोड़ेंगे। आपात स्थिति में, इस संबंध में संबंधित रजिस्ट्रार/प्रिंसिपल रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार जनरल जैसा भी मामला हो, से पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे। कर्मचारी कार्य के घंटों के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनावश्यक रूप से नहीं घूमेगा और अपनी सीट पर ही रहेगा। अत्यावश्यकता के मामले में या आधिकारिक उद्देश्य के लिए, यदि किसी कर्मचारी को बाहर जाना पड़ता है, तो वह प्रत्येक अनुभाग में बनाए गए मूवमेंट रजिस्टर में

अपने जाने का कारण दर्ज करेंगे, जिसे संबंधित प्रभारी द्वारा खंड, समय और उद्देश्य का उल्लेख करते हुये सत्यापित किया जाएगा। उपरोक्त निर्देश के संबंध में किसी भी विचलन को कदाचार माना जाएगा और संबंधित कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

९. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को विवाह समारोह, धार्मिक या सामाजिक समारोहों या किसी अन्य सभा जैसे किसी भी सभा से बचना चाहिए, यदि ऐसी सभा में शामिल होना अनिवार्य है तो उन्हें इस तरह के आयोजन में शामिल होने के लिए संबंधित प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के निर्देशानुसार

06.1.22

(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृ. कमांक.....A/90 A......

जबलपुर, दिनांकः 6 /01/2022

प्रतिलिपिः–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, म.प्र. उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.)
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र., खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.)
3. जिला न्यायाधीश, निरीक्षण, जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर
4. डायरेक्टर, मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, निवर्तमान सैट भवन, जबलपुर
5. सदस्य सचिव, एस.सी.एम.एस, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, जबलपुर
6. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक–1,2/सतर्कता/डी.ई./आई.एल. (एक्जाम एंड लेबर ज्यूडिशियरी)/ओ.एस.डी. (कम्प्यूटर), मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय; जबलपुर
7. सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

8. रजिस्ट्रार (मिनिस्ट्रीयल)/रजिस्ट्रार–कम–प्रिंसिपल प्रायवेट सेक्रेटरी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
9. असिस्टेंट डायरेक्टर, मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, निवर्तमान सैट भवन, जबलपुर
10. ओ.एस.डी. (लेखा), मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
11. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर को म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर दिशा–निर्देश अपलोड करने हेतु।
12. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम), म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर
13. डिप्टी कन्ट्रोलर एकाउंट्स, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
14. डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), ———————— मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
15. सीनियर सिस्टम एनालिस्ट,————म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर/ग्वालियर
16. चीफ लायब्रेरियन/लायब्रेरियन ———— उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
17. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम), ———————— मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
18. प्रोटोकॉल आफिसर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को उच्च न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर दिशा–निर्देश चस्पा करने हेतु।
19. माननीय न्यायाधिपति महोदय के सचिव..,म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर
20. माननीय न्यायाधिपति महोदय के रीडर..,म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर
21. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के सचिव, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर
22. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता)/(न्यायिक)/(परीक्षा) के सचिव, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर
23. श्री..प्रशासनिक अधिकारी/प्रभारी/ लेखाधिकारी (सैट), म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर
24. सहायक संपादक, आई.एल.आर. म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर
25. सहायक स्था/अवकाश, उच्च न्यायालय म.प्र./निवर्तमान सैट, जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)